Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–265 / 2025

श्री गिरीश सिंह बिष्ट,
पता–सैनिक कॉलोनी, दुगालखोला,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 42101043554 के सापेक्ष उन्हें दिनांक 19.05.2025 से दिनांक 19.06.2025 तक, 30 दिनों के विद्युत उपभोग के लिए, 7760 रिडिंग से 8610 यूनिट तक, कुल 400 यूनिट का बिल, रू0 2588 प्राप्त हुआ था जिसे 15.07.2025 को जमा करा दिया था इसके पश्चात दिनांक 25.06.2025 को पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगा दिया गया था। उन्होने बताया कि पुराने मीटर की दिनांक 19.06.2025 को विगत में अंकित रीडिंग 8160 से, मीटर उतारने की तिथि 25.06.2025 तक, 9599 यूनिट दिखाते हुए 07 दिन में 1439 यूनिट दर्शायी गयी हैं जिसके सापेक्ष उन्हें रू0 12052 का बिल ऑनलाईन सिस्टम पर दिख रहा है। उन्होने कहा है कि 07 दिन के अंदर उनका विद्युत उपभोग 1439 यूनिट का वास्तविक ना होकर, जंप रिडिंग का प्रतीत होता है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1024 दिनांक 29.10.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.11.2025 में वादी की तरफ से श्री गिरीश सिंह बिष्ट तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उन्होने दिनांक 05.07.2025 तक रू0 2588 का बिल जमा किया था।उन्होने बताया कि दिनांक 25.06.2025 में पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक 1439 यूनिट का बिल रू0 12052 निर्गत किया गया जो कि 07 दिन की अवधि का ठीक नहीं है। विभाग का कहना है कि पुराना मीटर 9599 यूनिट पर बदला गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 18.06.2025 तक 8160 रीडिंग तक का बिल वादी द्वारा जमा कराया गया था। अतः पुराने मीटर की बैलेंस यूनिट 9599–8160 = 1439 यूनिट का बिल वादी द्वारा देय है। वादी का कहना था कि 07 दिन के लिए इतनी यूनिट का बिल नहीं आ सकता।

विभाग को कहा गया था कि वह मीटर बदलने के, विवरण सहित, बदला हुआ मीटर मंच की अगली सुनवायी तिथि 26.11.2025 में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से श्री गिरीश सिंह बिष्ट तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी का कहना था कि उनके बिल 2022 से कभी भी 400 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा नहीं आये लेकिन जब मीटर बदला गया तब एक हफ्ते में दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक 07 दिन का बिल 1439 यूनिट का आया है जो कि गलत है। विभाग का कहना है कि मीटर 9599 रीडिंग पर बदला गया था और बिलिंग 8160 रीडिंग तक की गयी थी जिससे बैलेंस यूनिट 1439 बचती थी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर मीटर की एम0आर0आई कराकर विस्तृत आख्या 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रेषित करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा गया कि वह स्मार्ट मीटर के आधार पर निर्गत बिलों को जमा करते रहें। अगली सुनवायी तिथि 16.12.2025 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 16.12.2025, 15.01.2026 में वादी की तरफ से श्री गिरीश सिंह बिष्ट तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी का पुनः कहना था कि दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक 07 दिन का बिल 1439 यूनिट का आया है जबकि इससे पहले मासिक बिल औसतन 300–400 यूनिट का आता रहा है। विभाग का कहना था कि मीटर की एम0आर0आई0 की जा रही है इसलिए पुराना मीटर को मंच के समक्ष प्रस्तुत करना अभी संभव नहीं है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर उतारे गये मीटर की एम0आर0आई कराकर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि उतारे गये मीटर की अंतिम रीडिंग 9599 यूनिट थी बिलिंग हिस्ट्री के साथ एम.आर.आई. रिपोर्ट देखने से प्रतीत होता है कि मीटर रीडर द्वारा विगत में कम रीडिंग का बिल दिया गया था जिससे डंप रीडिंग हुयी हैं। इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया गया था कि डंप रीडिंग को संबंधित अवधि में वितरित कर, तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुए 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करायें तत्पश्चात् उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 25.02.2026 नियत की गयी थी।

6.मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से श्री गिरीश सिंह बिष्ट तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। मंच की सुनवायी तिथि 09.02.2026 के निर्देशानुसार विभाग ने बताया कि डंप रीडिंग के अनुसार बिल संशोधन करने पर दिनांक 31.01.2026 तक वादी के बिल में रू0 2684 का क्रेडिट देते हुए, बिल की गणना रू0 17522 आती है। वादी का कहना है कि वह इस गणना से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि मीटर पूरी तरह जल गया था जिसको जून 2025 में बदल दिया गया। वादी का कहना है कि उनका संयोजन दिनांक 27.12.2021 को ऊर्जिकृत हुआ था और तभी से मीटर रीडिंग आधारित बिलों का भुगतान कर रहे है। उनका यह भी कहना है कि उनके संयोजन के सापेक्ष कभी भी 300–400 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा के बिल निर्गत नहीं हुए है। उनका कहना है कि जब मासिक विद्युत उपभोग 400 यूनिट से ज्यादा नहीं रहा है तब दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक, 07 दिन का बिल, 1439 यूनिट का कैसे संभव हो सकता है।

वादी का यह कथन उचित प्रतीत हो रहा है क्योंकि बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी के बिल विगत में रीडिंग आधारित निर्गत हो रहे हैं। वादी का कहना है कि जब उसके बिल हमेशा से रीडिंग आधारित निर्गत हो रहे है तो डंप अथवा जंप रीडिंग का प्रश्न कहा उठता है और वह डंप रीडिंग से बिल्कुल असहमत है। इन परिस्थितियों में तथा न्यायहित में यह उचित होगा कि वादी का, दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक का विद्युत उपभोग, पिछले 06 महिने के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर लेते हुए, संशोधित बिल 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं तत्पश्चात 10 दिनों के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी के अनुरोध पर संशेधित बिल को दो समान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाए।

परिवाद संख्या–265/2025

आदेश

इस प्रकरण में वादी का कहना है कि उनका मीटर पूरी तरह जल गया था जिसको जून 2025 में स्मार्ट मीटर से बदल दिया गया। उनका कहना है कि उनका संयोजन दिनांक 27.12.2021 में ऊर्जिकृत हुआ था और तभी से वह मीटर रीडिंग आधारित बिलों का भुगतान कर रहे है। उनका यह भी कहना है कि उनके संयोजन के सापेक्ष कभी भी 300–400 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा के बिल निर्गत नहीं हुए है। इसलिए जब मासिक विद्युत उपभोग 400 यूनिट से ज्यादा नहीं रहा है तब दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक, 07 दिन का बिल, 1439 यूनिट का संभव नहीं हो सकता।

वादी की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार, वादी के बिल विगत में रीडिंग आधारित निर्गत किये गये हैं। वादी का कहना है कि जब उसके बिल हमेशा से रीडिंग आधारित निर्गत हो रहे है तो डंप अथवा जंप रीडिंग का प्रश्न ही नहीं उठता और इसलिए वह डंप रीडिंग से बिल्कुल असहमत है।

इन परिस्थितियों में तथा न्यायहित में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी का, दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 25.06.2025 तक का विद्युत उपभोग, पिछले 06 महिने के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर लेते हुए, संशोधित बिल 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं तत्पश्चात 10 दिनों के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी के अनुरोध पर, संशेधित बिल को, दो समान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 25.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–271 / 2025

श्री चामू सिंह ,
ग्राम– कर्मी, पो0 ऑ0– कर्मी
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– बागेश्वर।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजी1टी211108932 के सापेक्ष जो बिल निर्गत हो रहे है, उस संयोजन के सापेक्ष कभी मीटर नहीं लगा। उन्होने कहा है कि उनके घर में उनके पत्नी के नाम से निर्गत संयोजन संख्या बीजी1टी211101943 के सापेक्ष लगातार बिल जमा किये जा रहे हैं। उन्होने उपरोक्त बिल को खत्म कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1048 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री मुकेश भाकुनी अवर अभियंता ने बताया कि प्रकरण में आख्या तैयार की जा रही है और 15 दिन में आख्या प्रस्तुत कर दी जाएगी। अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 तथा 15.01.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने अपने वादी में कहा है कि उन्होने संयोजन संख्या बीजी1टी211108932 कभी नहीं लिया जबकि उसके सापेक्ष लगातार बिल निर्गत हो रहे हैं और जिसको वह बंद कराना चाहते है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष वादी द्वारा आवेदित हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हो, को मंच के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वादी ने विगत में उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष आवेदन किया था। अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 09.02.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष वादी द्वारा आवेदित हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हो, को मंच के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि यह स्पष्ट हो सके वादी ने विगत में उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष आवेदन किया था। अगली सुनवायी तिथि 25.02.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से मंच के निर्देश दिनांक 09.02.2026 के अनुक्रम में श्री एस.एस.भण्डारी उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होने वादी द्वारा हस्ताक्षरित नये संयोजन के लिए विभाग को दिये गये प्रपत्रों की प्रतिलिपिया प्रेषित की हैं। उन्होने बताया कि उपरोक्त संयोजन दिनांक 30.03.2019 को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निर्गत किया गया था और वर्तमान में यह बंद है। उन्होने यह भी बताया कि वादी की पत्नी के नाम से दिनांक 01.11.2017 में संयोजन संख्या बीजी1टी211107526 निर्गत किया गया था जो कि वर्तमान में उपयोग में है। वादी से उनके द्वारा दिये फोन नं0 9410533054 पर सुनवायी की गयी और उपरोक्त स्थिति से अवगत करांया गया। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिन के अंदर उपरोक्त संयोजन की पीडी कर फाईनल बिल वादी को उपलग्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी द्वारा नये संयोजन के लिए आवेदन किया गया था जिसको संयोजन संख्या बीजी1टी211108932 के द्वारा दिनांक 30.03.2019 को सौभाग्य योजना के अंर्तगर्त निर्गत किया गया था। अतः वादी का यह कथन गलत है कि उन्होने विगत में किसी संयोजन के लिए आवेदन नहीं किया था।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है किवह 15 दिन के अंदर उपरोक्त संयोजन की पीडी कर फाईनल बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 25.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–272/2025

श्री विवेक सिंह ,
ग्राम– कर्मी, पो0 ऑ0– कर्मी
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– बागेश्वर।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या बीजी 2टी222089210 के सापेक्ष जो बिल निर्गत हो रहे है उस संयोजन के सापेक्ष, उनके पिताजी ने कभी भी संयोजन के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्होने कहा है कि उनके घर में उनकी माताजी श्रीमती मोहनी देवी के नाम से निर्गत संयोजन संख्या बीजी1टी211107526 के सापेक्ष लगातार बिल जमा किये जा रहे हैं। उन्होने उपरोक्त बिल को खत्म कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1049 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से श्री विवेक सिंह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से फोन द्वारा सूचित किया गया कि प्रकरण में आख्या तैयार की जा रही है और 10 दिन में आख्या प्रस्तुत कर दी जाएगी। वादी का कहना है कि कनेक्शन नं0 बीजी2टी 222089210 का बिल उनके पिताजी श्री कुदंन सिंह के नाम से निर्गत हो रहा है जोकि 21.10.2025 तक रू0 23183 दिखाया जा रहा है जबकि उन्होने कोई कनेक्शन आज तक आवेदित नहीं किया है। उन्होने बिल को खत्म करने के लिए निवेदन किया है। विभाग को पुनः निदेशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर प्रकरण में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी ने कहा था कि वह बहुत दूर से आते है अतः उनकी सुनवायी वी/सी के माध्यम से फोन नं0 9411388448 पर की जाए जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया था। अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 नियत की गयी थी।

25/02/26

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 तथा 15.01.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग द्वारा सूचित किया गया कि संयोजन संख्या बीजी2टी 211089210 /एकांउट नं0 41500830997 दिनांक 16.05.2015 को श्री कुदंन सिंह के नाम से निर्गत किया था जिसके सापेक्ष दिनांक 01.05.2015 को नये विद्युत संयोजन की धनराशि रू0 1400 जमा की थी। उन्होने यह भी कहा था कि विद्युत संयोजन संख्या बीजी1टी2 11107526/एकांउट नं0 41801945897 दिनांक 20.11.2018 को भारत सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत निर्गत किया गया था। अतः उपभोक्ता का यह कथन गलत है कि उन्होने अपने पिताजी के नाम से संयोजन आवेदित नहीं किया। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 09.02.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी को अंतिम अवसर देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9411388448 पर सुनवायी की कोशिश की गयी परंतु कॉल नहीं लगा। वादी को पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि वह अगली सुनवायी तिथि 25.02.2026 को उपरोक्त पर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में प्रकरण को मेरिट के आधार पर निस्तारित कर दिया जायेगा।

6 .मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से मंच के निर्देश दिनांक 09.02.2026 के अनुक्रम में श्री एस.एस.भण्डारी उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होने वादी द्वारा हस्ताक्षरित नये संयोजन के लिए विभाग को दिये गये प्रपत्रों की प्रतिलिपिया प्रेषित की हैं। विभाग ने श्री कुदंन सिंह के नाम से नये संयोजन लेने के लिए हस्ताक्षरित किये हुए प्रपत्रों की प्रतिलिपियां प्रेषित की है। अतः वादी का यह कथन गलत है कि उनके पिताजी ने विगत में किसी संयोजन के लिए आवेदन नहीं किया है। वादी से उनके द्वारा दिये फोन नं0 9411388248 पर सुनवायी की गयी और उपरोक्त स्थिति से अवगत कराया गया। विभाग को निर्देशित किया जाता है किवह 15 दिन के अंदर उपरोक्त संयोजन की पीडी कर फाईनल बिल वादी को उपलग्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के पिताजी श्री कुदंन सिंह द्वारा दिनांक 13.04.2015 में नये संयोजन के लिए आवेदन किया गया था जिसको संयोजन संख्या बीजी2टी222089210 के. द्वारा दिनांक 16.05.2015 में निर्गत किया गया था। अतः वादी का यह कथन गलत है कि उनके पिताजी ने विगत में किसी संयोजन के लिए आवेदन नहीं किया था।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है किवह 15 दिन के अंदर उपरोक्त संयोजन की पीडी कर फाईनल बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 25.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–274 / 2026

श्री. देवी सिंह
ग्राम– धारण, पो0ऑ0– पंतगांव,
भिक्यिासैंण
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यिासैंण।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40111612325 के सापेक्ष, अगस्त, सितबंर तथा अक्टूबर 2025 में क्रमशः 612, 953 तथा 385 यूनिटस की बिलिंग हुयी है जबकि विगत में उनका मासिक विद्युत उपभोग 50 यूनिट से कम रहा है। उन्होने बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1072 दिनांक 02.12.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिक्यिासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.12.2025 तथा 15.01.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर ठीक पाया गया परंतु भूलवश बिलिंग सिस्टम में वास्तविक चेक मीटर नं0 546806 की जगह 70819248 पोस्ट कर दिया गया था जिसको ठीक करने के लिए उन्होने 15 दिनों का समय मांगा था अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि वादी के परिसर पर दूसरी बार चेक मीटर लगाया गया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, आख्या 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। अगली सुनवायी तिथि 25.02.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी तथा विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने पत्र संख्या 384 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 23.12.2025 से दिनांक 28.12.2025 तक की अवधि में, लगाये गये चेक मीटर के आधार पर वादी का मेन मीटर, 125 प्रतिशत तेज पाया गया जिसके आधार पर वादी के बिल में रू0 1871.45 का क्रेडिट दे दिया गया है जो कि वादी के मार्च 2026 के निर्गत बिल में प्रदर्शित हो जाएगा। विभाग को कहा जाता है कि वह खराब मीटर को बदलना सुनिश्चित करें। वादी मंच की किसी भी सुनवायी तिथि दिनांक 17.12.2025, 15.01.2026, 09.02.2026 तथा आज भी उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई सूचना प्राप्त हुयी है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.12.2025 से दिनांक 28.12.2025 तक की अवधि में लगाये गये चेक मीटर के आधार पर वादी का मेन मीटर 125 प्रतिशत तेज पाया गया था जिसके आधार पर वादी के बिल में रू0 1871.45 का क्रेडिट दे दिया गया है जो कि वादी के मार्च 2026 के निर्गत बिल में प्रदर्शित हो जाएगा। विभाग को कहा जाता है कि वह खराब मीटर को बदलना सुनिश्चित करें। वादी मंच की किसी भी सुनवायी तिथि दिनांक 17.12.2025, 15.01.2026, 09.02.2026 तथा आज भी उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई सूचना प्राप्त हुयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 25.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–275/2025

श्री मनीष चंद्र,
पता– रैलापाली
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 41601112610 के सापेक्ष, विगत में माननीय मंच ने वाद संख्या 262/2025 में मंच के आदेश दिनांक 26.11.2025 के द्वारा विभाग को निर्देश दिये थे कि वह 25.02.2024 में मीटर रीडर द्वारा रिकार्ड की गयी यूनिट 8388 को गलत मानते हुए औसत के आधार पर बिलों को संशोधित कर वादी को उपलब्ध कराएं। वादी ने प्रकरण में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1077 दिनांक 01.12.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.12.2025 में वादी की तरफ से श्री मनीष चंद्र तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग को निदेशित किया गया था कि वह वाद संख्या 262/2025 में दिये निर्देशों के अनुपालन में 15 दिनों के अंदर संशोधित बिल के साथ स्टेटमेंट ऑफ एकाउट प्रेषित करें। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 तथा 09.02.2026 में वादी की तरफ से श्री मनीष चंद्र तथा विभाग की तरफ से तुषार चौहान ए.ईआर. उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार शीत मौसम में वादी का प्रतिदिन विद्युत उपभोग 18 यूनिट तथा गर्मी के मौसम में 14 यूनिट आ रहा है। जिसके औसत के अनुसार वादी के बिलों में 45514 रू0 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 37661.62 बनता है जो सही है। वादी के अनुरोध पर एम0आर0आई रिपोट तथा बिल की गणना की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गयी थी। अगली सुनवायी तिथि 15.02.2026 नियत की गयी थी।

21/01/26

.मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से श्री मनीष चंद्र तथा विभाग की तरफ से तुषार चौहान ए.ईआर. उपस्थित हुए। आज की सुनवायी में एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार शीत मौसम में वादी का प्रतिदिन विद्युत उपभोग 18 यूनिट तथा गर्मी के मौसम में 14 यूनिट पर विस्तृत चर्चा की गयी जिसके आधार पर दिनांक 28.01.2024 से दिनांक 25.11.2025 तक रू0 45514 का क्रेडिट देते हुए तथा पूर्ण में भुगतान किये गये रू0 32983 के समायोजत के पश्चात् नेट बिल रू0 37661.62 बनता है जो सही है और देय हैं और जिस पर वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। वादी के अनुरोध पर उपरोक्त बिल को 03 समान किश्त में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार शीत मौसम में वादी का प्रतिदिन विद्युत उपभोग 18 यूनिट तथा गर्मी के मौसम में 14 यूनिट आ रहा है जिसके आधार पर दिनांक 28.01.2024 से दिनांक 25.11.2025 तक रू0 45514 का क्रेडिट देते हुए तथा पूर्ण में भुगतान किये गये रू0 32983 के समायोजत के पश्चात्,नेट बिल रू0 37661.62 बनता है जो सही है और देय हैं और जिस पर, वादी ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। वादी के अनुरोध पर उपरोक्त बिल को 03 समान किश्त में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 25.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–282 / 2026

श्री गणेश पंत
ग्राम– तालेश्वर, देघाट भिकियासैंण,
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिकियासैंण। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्यां 40112237633 के सापेक्ष, उनका बिल ठीक नहीं आ रहा है। उन्होने बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1104 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिकियासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 तथा 09.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री गौतम कुमार ए.ई.आर ने बताया कि वादी का बिल संशोधित होकर रू0 6145 बना है जो सही है और देय है। वादी का पक्ष जाने के लिए अगली सुनवायी तिथि 25.02.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से बताया गया कि दिनांक 08.02.2026 को वादी की रीडिंग 3709 रिकार्ड की गयी जिसके आधार पर संशोधित बिल रू0 6145 का बना है जो सही है और देय है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि वादी के मीटर की रीडिंग दिनांक 08.02.2026 को 3709 रिकार्ड की गयी जिसके आधार पर संशोधित बिल रू0 6145 का बना है जो सही है और देय है और जिसकी पुष्टि वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 753921077 पर कर ली गयी है।

वादी इससे संतुष्ट है और उन्होने उपरोक्त बिल जमा करा दिया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 25.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–283 / 2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, भुजान,
रानीखेत, जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116950784 के सापेक्ष, 18 किलोवाट विद्युत भार के लिए जून 2025 में, 28.02.2025 से 30.06.2025 तक का बिल 30000 यूनिट का रू0 200446 का निर्गत हुआ है जबकि इससे पहले के बिल प्रोविजनल के आधार पर निर्गत किये गये है। उन्होने कहा है कि प्रतिमाह एवरेज विद्युत 1866 यूनिट के सापेक्ष तीन बिलिंग साईकिल में 7500 यूनिट प्रतिमाह आना संभव नहीं है जबकि उनका मीटर ठीक काम कर रहा है। उन्होने यह भी बताया कि रू0 18508 का सरचार्ज लगाकर नवबंर 2025 तक का बिल रू0 956925 उचित नहीं है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1105 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी को उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797907 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री मेहपाल सिंह अवर अभियंता ने बताया कि यह प्रकरण डंप रीड्रिग सं संबंधित है जिसमें डंप यूनिट 68819 का बिल रू0 956925 का निर्गत हुआ है। विभाग ने बताया कि एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 से जनवरी 2026 तक वादी का विद्युत उपभोग 5000–6000 यूनिट रहा है जिसमें रू0 18508.45 का एलपीएससी शामिल है। वादी के अनुरोध पर विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर एमआरआई की प्रतिलिपी वादी को उपलब्ध कराएं जिसका परिक्षण कर वादी अपना पक्ष रख सके। अगली सुनवायी तिथि 09.02.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी का कहना था कि जून 2025 के बिल में–28.02.2025 से 30.06.2025 तक 30000 यूनिट का बिल रू0 200446 का निर्गत हुआ था,

06/04/26 06/4/2026

परिवाद सं. 283/2026

जबकि नवबंर 2025 में 68819 यूनिट का बिल निर्गत हुआ जबकि उनका विद्युत उपभोग प्रतिमाह कभी भी 5000–5500 यूनिट से ज्यादा नहीं रहा है उन्होने बताया कि 28.02.2025 से दिसबंर 2025 तक कुल 194794 यूनिट के बिल निर्गत हुए है जबकि अधिकतम 5500 यूनिट प्रतिमाह औसत के अनुसार 01.03.2025 से 31.12.2025 तक 10 महिने के बिल 55000 यूनिट के निर्गत होने चाहिए। उन्होने बताया कि मीटर रीडर के नियमित रूप से रीडिंग ना लेने के कारण डंप रीडिंग के प्रकरण बढते जा रहे है। उन्होने डंप रीडिंग को पिछले 03 साल में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ लगाकर बिल संशोधन के लिए अनुरोध किया है। उन्होने यह भी बताया कि विभाग के दबाव के कारण एलपीएससी के साथ बिलो का भुगतान तो कर दिया है लेकिन उन्हें संशोधित बिल में एलपीएससी का क्रेडिट दिया जाए। विभाग को निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त पर विस्तृत आख्या 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 25.02.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 तथा 17.03.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री भास्कर पाण्डे अवर अभियंता ने बताया कि एमआाई रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 से अगस्त 2025 तक प्रतिमाह विद्युत उपभोग 5000 यूनिट रहा है जो कि वादी के कथन से मेल खाता है और यह प्रकरण डंप रीडिंग का प्रतीत होता है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 01.01.2025 से 01.01.2026 की अवधि का पुनः निरीक्षण करें तथा एलपीएससी रहित संशेधित बिल 10 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। दिनांक 17.03.2026 की सुनवायी में विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी। अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई आख्या प्राप्त हुयी। अतः मंच की पिछली सुनवायी तिथि 09.02.2026 के अनुक्रम में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त डंप रीडिंग को पिछले 03 साल में वितरित कर तथा तत्कालीन टेरिफ के अनुसार 15 दिन के अंदर एलपीएससी रहित बिल संशोण्धित कर नेट बिल वादी को उपलब्ध कराएं, तद्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

विभाग ने बताया कि यह प्रकरण डंपव रीडिंग सं संबंधित है जिसमें संशोधन होना है। अतः विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त डंप रीडिंग को पिछले 03 साल में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ के अनुसार 15 दिन के अंदर एलपीएससी रहित बिल संशोण्धित कर नेट बिल वादी को उपलब्ध कराएं, तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक –06.04.2026

06/04/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

06/4/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–284 / 2026

श्री. माधो सिंह
ग्राम– गुरूड़ा(मल्लाखोला),पो0ऑ0 चनौदा,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 41700329699 के सापेक्ष, अक्टूबर माह 2025 का बिल 13257 रू0 आया है जबकि नवबंर माह का बिल मात्र रू0 162 प्राप्त हुआ है उन्होने बिल को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1113 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 09.02.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर 11 प्रतिशत तेज पाया गया जिसको नये मीटर से बदल दिया गया है। विभाग का निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी का उपलब्ध कराएं तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर, मंच के समक्ष आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 25.02.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 25.02.2026 में वादी की तरफ से श्री माधो सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने एम0आर0आई रिपोर्ट प्रेषित की हैं जिसके आधार पर माह मई 2025 का विद्युत उपभोग 72.8 यूनिट, जून 2025 में 98 यूनिट, जुलाई 2025 में 89.1 यूनिट, अगस्त 2025 में 88.6 यूनिट, सितबंर 2025 में 80.5 यूनिट जबकि नवबंर 2025 में दो महिने का विद्युत उपभोग 1787.9 यूनिट दर्शाया गया है। वादी एक बी.पी.एल उपभोक्ता है और विगत में उनका विद्युत उपभोग कभी भी प्रतिमाह 100 यूनिट से ज्यादा नहीं रहा है।

अतः अक्टूबर– नवबंर माह के दो महीनों में विद्युत उपभोग 1787.9 यूनिट आना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में यह न्यायसंगत होगा कि वादी के बदले गये मीटर के 04 महिने की विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात 10 दिन के उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि वह 10 दिन के अंदर रू0 400 लमसम् जमा करा दें। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि बिलों में उपरोक्त संशोधन होने तक वादी की बिजली ना काटी जाए।

आदेश

विभाग द्वारा प्रेषित एम0आर0आई रिपोर्ट के आधार पर वादी का विद्युत उपभोग, माह मई 2025 में 72. 8 यूनिट, जून 2025 में 98 यूनिट, जुलाई 2025 में 89.1 यूनिट, अगस्त 2025 में 88.6 यूनिट, सितबंर 2025 में 80.5 यूनिट जबकि नवबंर 2025 में दो महिने का विद्युत उपभोग 1787.9 यूनिट दर्शाया गया है। वादी एक बी.पी.एल उपभोक्ता है और विगत में उनका विद्युत उपभोग कभी भी प्रतिमाह 100 यूनिट से ज्यादा नहीं रहा है।

अतः अक्टूबर– नवबंर माह के दो महीनों में विद्युत उपभोग 1787.9 यूनिट आना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के बदले गये मीटर के 04 महिने की विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि वह 10 दिन के अंदर रू0 400 लमसम् जमा करा दें। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि बिलों में उपरोक्त संशोधन होने तक वादी की बिजली ना काटी जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 25.02.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

25/2/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–287 / 2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, टम्टा मोहल्ला,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116889082 के सापेक्ष दिसबंर 2025 के बिल में रू0 5601 का लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज लगा दिया गया है जो कि गलत है क्योकि उनके यहां कोई मोटिव लोड नहीं है। उन्होने लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज के रूप में लगाये गये रू0 5601 को हटाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1139 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 25.02.2026 तथा 17.03.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल में त्रुटिवश लगाये गये एल.पी.एफ सरचार्ज रू0 5601 को हटा दिया गया है और संशोधित बिल वादी ने जमा भी कर दिया है। वादी ने उपरोक्त पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

06/04/26

06/4/2026

परिवाद संख्या–287 / 2026

आदेश

विभाग ने बताया कि त्रुटिवश लगाये गये एल.पी.एफ सरचार्ज रू0 5601को हटा दिया गया है और संशोधित बिल वादी द्वारा जमा भी कर दिया है। वादी ने उपरोक्त पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 06.04.2026

06/04/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

06/4/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु० निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–288 / 2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि०, विवेकानंद पुरी,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116889619 के सापेक्ष दिसबंर 2025 के बिल में रू० 7799 का लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज लगा दिया गया है जो कि गलत है क्योकि उनके यहां कोई मोटिव लोड नहीं है। उन्होने लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज के रूप में लगाये गये रू० 7799 को हटाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1140 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 25.02.2026 तथा 17.03.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल में त्रुटिवश लगाये गये एल.पी.एफ सरचार्ज रू० 7799 को हटा दिया गया है और संशोधित बिल वादी ने जमा भी कर दिया है। वादी ने उपरोक्त पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

06/04/26

06/04/2026

आदेश

विभाग ने बताया कि त्रुटिवश लगाये गये एल.पी.एफ सरचार्ज रू0 7799 को हटा दिया गया है और संशोधित बिल वादी द्वारा जमा भी कर दिया है। वादी ने उपरोक्त पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 06.04.2026

06/04/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

06/4/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–289 / 2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0,लाला बाजार,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116946280 के सापेक्ष दिसबंर 2025 के बिल में रू0 4577 का लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज लगा दिया गया है जो कि गलत है क्योकि उनके यहां कोई मोटिव लोड नहीं है। उन्होने लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज के रूप में लगाये गये रू0 4577 को हटाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1141 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 25.02.2026 तथा 17.03.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र तिवारी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल में त्रुटिवश लगाये गये एल.पी.एफ सरचार्ज रू0 4577 को हटा दिया गया है और संशोधित बिल वादी ने जमा भी कर दिया है। वादी ने उपरोक्त पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

06/04/26

06/04/2026

परिवाद संख्या–289 / 2026

आदेश

विभाग ने बताया कि त्रुटिवश लगाये गये एल.पी.एफ सरचार्ज रू0 4577 को हटा दिया गया है और संशोधित बिल वादी द्वारा जमा भी कर दिया है। वादी ने उपरोक्त पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 06.04.2026

06/04/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

06/4/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–297 / 2026

श्रीमती चंपा देवी ,
ग्राम एंव पो0ऑ0– सरसों
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 14111457653 के सापेक्ष बहुत दिनों से बिलों का भुगतान नहीं किया है क्योकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा उनके पति के कमर के दो ऑपरेशन हुए है। उन्होने बिल को माफ करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1164 दिनांक 11.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.02.2026 में वादी की तरफ से उनके पुत्र श्री यशवत् चौहान उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही प्रकरण में कोई आख्या प्राप्त हुयी। अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से उनके पुत्र श्री यशवत् चौहान उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनका बिल 5900 प्राप्त हुआ है जो कि बहुत अधिक है और सही नहीं है। विभाग ने बताया कि वादी ने अंतिम बार जुलाई 2025 में बिलो का भुगतान किया था और वर्तमान में रू0 5914 ब्रबित है। वादी ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अतः उन्हें उपरोक्त बिल को चार समान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाए। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त बिल को चार समान किश्तों में करेंट बिल के साथ भुगतान करने की वादी को सुविधा प्रदान करें।

06/04/26

06/4/26

परिवाद संख्या–297 / 2026

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि कि वादी के बिल जुलाई 2025 से जमा नहीं किये जा रहे है जो कि वर्तमान में रू0 5914 बकाया है। वादी ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अतः उन्हें उपरोक्त बिल को चार समान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाए। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त बिल को चार समान किश्तों में करेंट बिल के साथ भुगतान करने की वादी को सुविधा प्रदान करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 06.04.2026

06/04/26
बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

06/4/2026
ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य